रेरा अधिनियम जमीनी स्तर पर हो लागू, नियम तोड़ने पर करें कार्रवाई

रेरा अध्यक्ष विवेक सिंह ने उन्मुखीकरण कार्यशाला को किया संबोधित

जागरण संवाददाता, दरभंगा : भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि घर या प्लाट खरीदने वालों को किसी भी भू-सम्पदा परियोजना में रुपये लगाने से पहले रेरा निबंधन की जांच जरूर की जानी चाहिए। प्राधिकरण द्वारा आयोजित दरभंगा प्रमंडल के संवेदीकरण-सह-उन्मुखीकरण कार्यशाला का उन्होंने उद्घाटन करते हुए कहा कि ऐसा भी देखने में आ रहा है कि कुछ लोग थोड़े पैसे बचाने के लिए रेरा निबंधन के बिना राशि लगा देते हैं। उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे परियोजनाओं के घर अथवा प्लाट के निबंधन पर भी रोक लगाई जा सकती है। ऐसा होने पर खरीदार की राशि फंस सकती है। इस तरह के कार्यशालाओं में प्राप्त सुझावों से रेरा बिहार को भी फायदा होता है एवं जिलों की वास्तविक समस्याओं का पता चलता है। इससे आगे उठाए जाने वाले कदमों में मदद मिलती है। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस एवं म्युनिसिपल से आग्रह किया है कि वे रेरा अधिनियम को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। फ्लैट व भूखंड खरीदारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016, को लागू किया गया था।

कार्यशाला को संबोधित करते भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष व अन्य • जागरण

इसलिए, जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जिला एवं म्युनिसिपल प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय सिंह ने कहा कि आम लोगों का विश्वास रेरा आने से बढ़ा है। अब वे अपनी शिकायतों को पूरे विश्वास के साथ दाखिल कर रहे हैं। इसका लाभ भी उन्हें मिल रहा है। प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने कहा कि दरभंगा प्रमंडल के सभी जिलों रेरा बिहार की अपेक्षा के अनुसार सहयोग प्रदान करेंगे।

मिथिला प्रक्षेत्र के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि रेरा कानून के विषय में प्रचार-प्रसार बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अपनी कमाई का बड़ा भाग घर खरीदने में लगा देते हैं। उन्होंने रेरा बिहार की वेबसाइट को और सरल बनाने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर बोलते हुए दरभंगा के जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि वे सभी अंचल अधिकारियों को यह निदेश देंगे कि रेरा कानून का उल्लंघन करने वालों के विषय में नियमित रूप से रिपोर्ट दें, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। समस्तीपुर के उप विकास आयुक्त सूर्य प्रताप सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के कार्यशाला जिला स्तर पर भी आयोजित की जानी चाहिए। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आम लोगों की शिकायतों को रेरा तक पहुंचाने वाली व्यवस्था में विशेष रुचि दिखाई। आगे से ऐसी शिकायतों को रेरा तक पहुंचा दिया जाएगा। इस कार्यशाला में दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी के 25 नगर निकायों के अधिकारियों एवं दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी के जिला उप-निबंधकों ने हिस्सा लिया।